© 2025 IJRTI | Volume 10, Issue 8 August 2025 | ISSN: 2456-3315

विधवा पेंशन योजना तथा सामाजिक सुरक्षा : कटिहार जिला अन्तर्गत मनिहारी प्रखंड के संदर्भ में

डॉ० प्रियंका चौधरी

आई० आर० पी० एम० विभाग, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

सार :

हमारे समाज में विधवा जीवन अत्यंत ही गंभीर समस्या है। आए दिन इन्हें कई सारी बंदिशों तथा मजबूरियों का सामना करना पड़ता है। चाहे वह मजबूरियाँ सामाजिक हो या आर्थिक। सामाजिक तौर पर उन्हें सदा के लिए परंपराओं की बेड़ियों से बांध कर जीवन बिताने, घर—परिवार की देखभाल करने, साज—श्रृंगार न करने, आध्यात्मिक कार्यों से जुड़े रहने, हंसी—ठिठौली तथा विवाह जैसे शुभ—मंगल कार्यों में शामिल न होने के लिए मजबूर किया जाता रहा है। वहीं पति की मृत्यु के पश्चात् उत्पन्न वित्तीय तथा आर्थिक परेशानियॉ इतनी बढ़ जाती है कि उनका समाधान बहुत ही मुश्किल हो जाता है। विशेष कर तब जब परिवार में कमाई करने वाला व्यक्ति मृतक ही हो। इस स्थिति में विधवाओं की आर्थिक दशा बहुत ही दयनीय हो जाती है। यही कारण है, कि विधवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त तथा समाज में गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने के उद्देश्य से उन्हें केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों ही मिलकर पेंशन योजना के तहत् उनको प्रतिमाह कुछ राशि प्रदान कर रहीं है।

वैसे तो विधवाओं के लिए मुख्यतः दो पेंशन योजनाएँ सरकार द्वारा चलाई जा रहीं है, जिसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना तथा लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना शामिल है, लेकिन शोधकर्ता ने अपने शोध अध्ययन के लिए बिहार राज्य के कटिहार जिला अंतर्गत मनिहारी प्रखंड का चयन किया है तथा उस प्रखंड में चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना को सम्मिलित किया है। इस शोध पत्र के माध्यम से इस योजना के लाभार्थियों की संख्या 2015—2023 तथा उनकी व्यक्तिगत, आर्थिक व सामाजिक स्थिति के आँकड़ों को प्रस्तुत कर उसका विश्लेषण किया गया हैं।

कुंजीभूत शब्दः सामाजिक सुरक्षा, पेंशन योजना, आर्थिक सुरक्षा, विधवा, परंपरा, सशक्त।

परिचय :

प्राचीन धर्म ग्रंथ एवं पुराण कथाओं में स्त्री को देवी का स्वरूप मानकर उसे गृह लक्ष्मी, सौभाग्यलक्ष्मी, सरस्वती तथा अन्नपूर्णा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ तक कि उन्हें धन, विद्या तथा शक्ति स्वरुप में पूज्यनीय स्थान दिया गया है तथा कन्या के जन्म पर उत्सव भी मनाया जाता है, लेकिन इसके विपरीत स्त्री को उपभोग तथा वंश बढ़ाने की वस्तु मानकर उसका तिरस्कार भी किया जाता रहा है। एक स्त्री आजीवन जन्म से मृत्यु तक अपनी सारी जिम्मेदारियों तथा रिश्तो के जाल में फंसकर उन सभी का सम्मान करती है, परंतु जब बात उसके आत्म सम्मान तथा गौरव की आती है, तो वह पुरुषों से अपने आप को बहुत ही नीचे स्थान पर पाती है।

अधिकांश समाज में महिलाओं के मुकाबले पुरुषों का ही धन तथा संपत्ति पर मालिकाना हक होता है। यह विषमता पारिवारिक तथा सामाजिक स्तर के साथ—साथ आमदनी या कमाई में भी देखने को मिलती है। यहां तक की महिलाओं को खानदानी जमीन जायदाद में भी हमेशा पुरुषों से कमतर ही देखा जाता है। वहीं विधवाओं की स्थिति उत्पन्न होने के पश्चात इसका प्रभाव बहुत ही असहनीय हो जाता है, क्योंकि प्रायः यह देखा जाता है कि पति की मृत्यु के पश्चात् पत्नी को पति की जायदाद से बेदखल या कम संपत्ति देकर पूर्णरूप से उसे दरकिनार कर दिया जाता है, जिससे उसका जीवन — यापन तक मुश्किल हो जाता है।

भारत की करीब 37.00% महिलाएँ ही कामकाजी हैं, बाकी की महिलाएँ अपने पति की आय पर निर्भर रहकर गृहस्थी संभालती हैं। यही कारण है कि पति की मृत्यु के पश्चात् इसकी जीविका का कोई और साधन नहीं होने की वजह से उसे आर्थिक विषमताओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपनी स्थितियों के साथ समझौता करना पड़ता है तथा उसे जीवन के हर एक पड़ाव पर किसी न किसी पर निर्भर रहना पड़ता है। एक स्त्री के जीवन में स्थिति और भी ज्यादा तब भयावह जाती है जब उसके वैवाहिक साथी की मृत्यु हो जाती है, और मृतक व्यक्ति अपने परिवार में कमाने वाला इकलौता व्यक्ति हो, तब विधवाओं के जीवन में वित्तीय तथा आर्थिक चुनौतियाँ इस प्रकार सामने आती हैं, जिसका निवारण वह स्वयं नहीं कर पाती है।

वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 5.5 करोड़ से भी अधिक महिलाएँ विधवा है। यह संख्या दक्षिण अफ्रीका तथा तंजानिया जैसे देशों की आबादी के लगभग बराबर है तथा म्यांमार और दक्षिण कोरिया की जनसंख्या से कहीं अधिक है। वहीं देश में बाल विवाह के दुष्परिणाम बाल विधवाओं के रूप में देखने को मिलता है। बाल विधवा निषेध, 2006 अधिनियम के लागू होने के बावजूद भी 10 से 19 वर्ष की आयु वाले बाल विधवाओं की संख्या 0.5% यानी 1.94 लाख है, जो बेहद चिंताजनक विषय बनता जा रहा है, जबकि 20 से 29 वर्ष की आयु वर्ग वाली महिलाओं की संख्या व प्रतिशत तथा 40 से 59 वर्ष तक की विधवाओं की संख्या 32% है। वृद्ध विधवाओं की संख्या में देश में 58% है, जो की सबसे अधिक है।

विश्व विधवा रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत को उन देशों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है, जहां विधवाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। देश में केवल 18% विधवाओं के साथ ही अच्छा व्यवहार किया जाता है तथा उसकी अच्छी देखभाल भी की जाती है, जबकि 34% विधवाओं के साथ व्यवहार ठीक–ठाक किया जाता है। शेष विधवाओं के साथ घरेलू हिंसा, जायदाद से बेदखल कर देना तथा यौन उत्पीड़न जैसी समस्याएँ देखने को मिलती हैं। आज विधवा महिलाओं को ऐतिहासिक रूप से समाज में अनदेखी, अप्राप्य तथा असमर्थित छोड़ दिया जाता है।

I. विधवा महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति :

यह सत्य है कि आधुनिक समाज में आज भी महिलाओं को भिन्न–भिन्न कुप्रथाओं तथा सामाजिक बंदिशों के कारण कष्ट में जीवन बिताने के लिए विवश किया जाता है। आज भी समाज में विधवाओं को साज – श्रृंगार, खान–पान से लेकर प्रसंग पर्व में सम्मिलित होने से भी रोकता है। ये सारी बंदिशें उन विधवा महिलाओं की स्वतंत्र जीवन तथा अवसरों की समान अधिकार के बीच दीवार बनकर खड़ी रहती है, जिसको तोड़ना उसके लिए असंभव हो जाता है। हालांकि अब धीरे–धीरे सामाजिक मान्यताओं में बदलाव हुआ है, परंतु यह बदलाव आज का नहीं है। आजादी से लगभग 118 वर्ष पूर्व ही विधवाओं की स्थिति में बदलाव लाने के लिए ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय ने विधवाओं की जिंदगी के लिए सती प्रथा के खिलाफ न्याय की गुहार लगाई थी तथा समाज को जागरूक करने का कार्य भी किया था।

तात्कालिक ब्रिटिश शासित भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दिसंबर 1829 में ही सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। कानून लागू कर देने से विधवाओं को जिंदगी तो मिली परंतु उनका शेष जीवन नर्क से कम नहीं था। यही कारण है कि विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 16 जुलाई 1856 ई० में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 पारित किया गया, जिसके अंतर्गत विधवाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार मिला, जिसमें उस समय के समाजसेवी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके लिए उन्होंने अपने ही पुत्र का विवाह विधवा स्त्री से करवाया था। इन सारे कानून से कहीं ना कहीं विधवाओं के जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव तो आया, परंतु कई समाजों ने इस कानून को नकार दिया। कुछ विधवाओं की स्थिति अच्छी तो कुछ की जिंदगी नरक सी बनती चली गई।

पुनः आजादी के पश्चात् विधवाओं की स्थिति को सुधारने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 पारित किया गया, जिसमें पति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति में उसकी विधवा स्त्री के अधिकार को सम्मिलित किया गया, ताकि विधवा महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके। यहां तक की विधवाओं के मुद्दे के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए लुंबा फाउंडेशन (जो की विधवा महिलाओं के आर्थिक अधिकारों और हक के लिए लड़ती है) द्वारा पहला अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून 2005 को मनाया गया वहीं, 2010 छठे अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस के अवसर पर विभिन्न देशों के साथ–साथ भारत में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य विधवा महिलाओं के लिए पूर्ण अधिकार तथा सामाजिक सुरक्षा, समान वेतन, पेंशन तथा मान्यता प्राप्त करने हेतु कार्यवाही का अवसर प्रदान किया सकें।

इतने सारे कानून तथा अधिनियम पारित होने के बावजूद भी आज की शिक्षित पीढ़ी विधवाओं के साथ दुर्व्यवहार करने से पीछे नहीं हटती। इसका सीधा उदाहरण हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। अभी हाल ही में नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित इसलिए नहीं किया गया, क्योंकि वे विधवा तथा आदिवासी समुदाय से संबंध रखती हैं, जब भारत की पहली नागरिक होने के बावजूद भी उन्हें विधवापन की कुप्रथाओं से गुजरना पड़ा है, तो आम विधवा महिलाओं के साथ कैसा दुर्व्यवहार होता होगा। भले ही आज कई शिक्षित तथा नई सोच रखने वाले परिवारों में विधवाओं के साथ अच्छा व्यवहार होता है, लेकिन यह भी सत्य है की परंपराओं की आड़ में

आज भी विधवा महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा, जायदाद से बेदखली, वृद्ध विधवाओं को सड़क पर छोड़ देना तथा बाल विधवाओं पर हो रहे अत्याचार कई अनेक घटनाएं देखने और सुनने को मिलती है, जो निम्नलिखित है–

1. स्वतंत्रता का हनन :

किसी भी समाज में स्त्रियों की मजबूत स्थिति ही उसके स्वयं के विकास को दर्शाता है। स्त्रियों के साथ अत्याचार तथा दुर्व्यवहार करने वाला समाज कभी भी सभ्य तथा विकसित नहीं हो सकता है। अतः विधवा प्रथा की आड़ में समाज, विधवाओं के स्वतंत्रता का हनन करता है। ऐसा मान लिया जाता है, कि पति की मृत्यु के पश्चात् विधवा महिलाओं को जीने का कोई हक नहीं होता है। इसलिए उन विधवाओं से हर एक चीज छीन ली जाती है, जो उसकी आजादी को दर्शाता है।

2. समाज की नकारात्मक सोच :

समाज में विधवा महिलाओं के प्रति नकारात्मक सोच के कारण उन्हें कई तरह की कठिनाइयों तथा अभाव का सामना करना पड़ता है। समाज की सोच विधवाओं के प्रति इतनी अधिक नकारात्मक हो जाती है, कि लोग उसे बेसहारा मान लेते हैं। उन्हें कोई आश्वासन देता है, तो कोई आर्थिक मदद का विश्वास, कोई दूसरे विवाह की सलाह, तो कोई सांत्वना। वह विधवा औरत क्या चाहती है, यह कोई नहीं पूछता है। समाज ही उस स्त्री के बारे में समझ लेता है, कि वह अलग तथा अभागन है, जबकि किसी भी विधवा स्त्री की स्थिति कैसी है यह केवल उसके ही हाथों में है, लेकिन समाज की सोच हमेशा उस विधवा स्त्री के लिए नकारात्मक ही रहती है।

3. वित्तीय स्थिति :

वित्त, देश में विधवा महिलाओं की मुख्य समस्याओं में से एक है। अधिकांश विधवाओं को स्वयं तथा उसके पूरे परिवार के सदस्यों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई कठिनाइयों से समझौता करना पड़ता है। चाहे वह बच्चों से संबंधित पौष्टिक भोजन, कपड़े, स्कूल की फीस, खेल खिलौने ही क्यों ना हो वह सबको पूरा करने में असमर्थ हो जाती है। इसके अलावा समाज में दोस्तों तथा समाज के साथ आदान–प्रदान बनाएं रखने, व्यक्तिगत खर्च तथा अपने पति द्वारा लिए गए ऋण का भुगतान करने में भी असमर्थ हो जाती हैं। विधवा महिलाओं को एक और गंभीर चिंता घेरे रहती हैं, कि उनके बच्चों की शादी कैसे होगी। अगर लड़की है, तो दहेज कैसे देंगे, क्योंकि विधवाओं की आर्थिक समस्या इतनी गंभीर रहती है, कि वह अपनी जरूरत को ही नियंत्रित कर लेती है।

4. निःसहाय स्थिति में विधवाएँ :

विधवाओं के साथ विभिन्न प्रकार की हिंसा तथा दुर्व्यवहार का प्रचलन सदियों से चला आ रहा है। उनकों शारीरिक तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। यहाँ तक कि उन्हें घरों से भी निकाल दिया जाता है। दुर्व्यवहार का एक रूप और भी है, जो उनके बाल को काटकर उसके सौंदर्य को खत्म करने का प्रयास किया जाता है। कुछ मामलों में विधवा महिलाएँ अपने बच्चों की अभिरक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी खो देती है, और उन्हें अपने ही बच्चों से मिलने की अनुमति भी नहीं दी जाती है, जिन विधवाओं के साथ घरेलू हिंसा जैसी वारदातें होती हैं, वह अच्छे खान–पान न मिलने के कारण कुपोषित हो जाती है, जिसका असर उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरे तरीके से पड़ता है।

5. जबरन बाल विवाह :

बाल विधवा का सबसे प्रमुख कारण बच्चों का जबरन विवाह कर देना है। बाल विवाह निषेध 2006 के बनने के बावजूद भी 2011 की जनगणना के अनुसार 10 से 19 वर्ष तक की बाल विधवाओं की संख्या हमारे देश में लगभग 1.94 लाख है। गरीबी से त्रस्त तथा पुराने ख्यालों वाले आज भी बहुत से परिवार है, जहां बच्चियों का कम उम्र में विवाह करना उनके समाज की परंपरा है, जबकि बाल विवाह अपने आप में एक हिंसा है, लेकिन इससे अधिकांश युवा लड़कियाँ विधवा हो जाती है तथा उसे कलंकित कर उसके साथ हिंसा की जाती है।

बाल विधवाओं की समस्याएँ उम्रदराज विधवाओं के मुकाबले अधिक गंभीर हो जाती है। बाल विधवाओं के सामने मुख्य समस्या शिक्षा प्राप्त करने से संबंधित है। कम उम्र में विवाह के कारण ऐसे भी उनकी शिक्षा पर पाबंदियाँ

लग जाती हैं, लेकिन विधवा होने के पश्चात् यह पाबंदी और भी ज्यादा सख्त हो जाती है। कम उम्र से ही उन्हें विधवाओं के सारे नियमों का पालन करना पड़ता है, जिस उम्र में लड़कियाँ अपनी सखी–सहेलियों के साथ घर–घर खेलती हैं, उस उम्र में उन्हें कई सारी जिम्मेदारियों तथा पाबंदियों की बेड़ियों से बाँध दिया जाता है और उन्हें आजीवन धार्मिक ग्रंथो, मानदंड, मूल्यों तथा मान्यताओं का पालन करने पर मजबूर किया जाता है।

II.) केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विधवा पेंशन योजनाएँ :

केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा विधवाओं के लिए कई सारी सरकारी योजनाएँ चलाई जा रही है। जैसे पेंशन योजना, राशन कार्ड योजना, विधवा की पुत्री हेतु छात्रवृत्ति योजना, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम इत्यादि जिसमें मुख्य रूप से दो योजनाएँ (जो कि पेंशन योजना के अंतर्गत आता है) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना तथा लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना चलाई जा रहीं हैं, जिससे विधवा महिलाओं को घर बैठे प्रतिमाह धनराशि प्रदान कर आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सकें।

➢ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना :

यह योजना भारत सरकार तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित योजना है। इस योजना को समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। यह योजना विधवा महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से वर्ष 2009 से चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत 40 से 79 वर्ष की विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से लाभ दिया जाता है। इसमें विधवाओं को प्रतिमाह ₹400 की राशि प्रदान की जाती थी, जिसे वर्तमान सरकार द्वारा जून 2025 में वृद्धि कर ₹1100 कर दिया गया है तथा वैसी महिलाएँ जिनकी आयु 80 वर्ष से अधिक हो गई है, उन्हें वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह ₹500 (जून 2025 से ₹1100) की धनराशि प्रदान की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना का लाभ ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही इलाकों की विधवा महिलाओं को दिया जाता है। यदि कोई विधवा महिला केंद्र व राज्य सरकार की किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त कर रही है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं इस योजना से लाभ प्राप्त करने के लिए विधवाओं को निर्धारित आवेदन पत्र ग्रामीण इलाकों में पंचायत या जनपद पंचायत, वहीं शहरी इलाकों में नगरनिगम, नगर पंचायत या नगरपालिका कार्यालय में पति की मृत्युप्रमाण पत्र के साथ–साथ स्वयं की तीन फोटो, आयु प्रमाण पत्र तथा जरूरी अभिलेखों के साथ जमा करना पड़ता है। इन सारी प्रक्रियाओं के पश्चात् ही आवेदनकर्ता को प्रति माह धनराशि प्रदान की जाती है।

➢ लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना :

लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना कम उम्र में ही हुई विधवा महिलाओं के कल्याण हेतु वर्ष 2007 में शुरू की गई थी। यह योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजना हैं। इस योजना के अंतर्गत वैसी महिलाएँ जो 18 वर्ष से 59 वर्ष की आयु में विधवा हो गई तथा जिनकी वार्षिक आय ₹60000 से कम है, उनको इस योजना के अंतर्गत ₹400 प्रतिमाह सहायता राशि प्रदान करने का प्रावधन थ जिसे जून 2025 से बढाकर ₹1100 कर दिया गया है। वहीं 60 वर्ष होने के पश्चात् उन विधवाओं को जहां अब तक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत् हर माह ₹500 पेंशन राशि प्रदान कराई थी उसमें भी जून 2025 से बढाकर ₹1100 कर दिया गया है। जहाँ यह योजना शुरुआत से लेकर वर्ष 2018 तक केवल गरीबी रेखा से नीचे आने वाली विधवाओं को लाभ प्रदान करता था, वही समय तथा महंगाई की दृष्टिकोण से वर्ष 2019 से सामान्य जाति की महिलाएँ जो गरीबी रेखा के ऊपर आती हैं, उन्हें भी अधिकार दिया गया कि वह भी इस योजना के तहत् लाभ प्राप्त कर सकें। इस योजना का उद्देश्य भी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की तरह विधवा महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के साथ–साथ उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विधवा महिलाओं को बिहार सरकार का स्थाई निवासी होना आवश्यक है।

III.) अध्ययन का उद्देश्य :

- ❖ विधवा महिलाओं की जीवन में उत्पन्न आर्थिक व सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना।
- ❖ योजना के तहत् मिलने वाली राशि से विधवाओं के जीवन पर हो रहें बदलाव का अध्ययन करना।
- ❖ मनिहारी प्रखंड में पेंशनधारियों के आंकड़ों को प्रस्तुत करना।
- ❖ राशि प्राप्त करने के दौरान उनकी समस्याओं से अवगत होना।

IV.) अध्ययन पद्धति :

इस शोध का प्रस्तुतीकरण विश्लेषणात्मक तथा वर्णनात्मक अध्ययन पर आधारित है। इस शोध को पूरा करने हेतु विभिन्न आँकड़ों के संकलन में प्राथमिक तथा द्वितीय स्रोतों की मदद ली गई है। अध्ययन के प्रथम उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु दोनों स्रोतों जैसे पुस्तक, पत्र पत्रिकाएं, इंटरनेट तथा समाचार पत्रों की सहायता ली गई है, जबकि प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत पेंशनधारियों के समक्ष जाकर उनकी समस्याओं को समझने तथा उनका विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। वहीं द्वितीय तथा चतुर्थ उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत अवलोकन, साक्षात्कार तथा अनुसूची के माध्यमों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि तृतीय उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए द्वितीय स्रोतों की सहायता ली गई है।

V.) अध्ययन क्षेत्र :

मनिहारी, बिहार झारखंड और बंगाल राज्यों के बीच स्थित एक छोटा सा सीमावर्ती शहर है, जो बिहार राज्य के कटिहार जिला अंतर्गत आता है कटिहार जिला के तीन अनुमंडल में से एक अनुमंडल मनिहारी भी है। मनिहारी अनुमंडल में कुल दो प्रखंड आते है मनिहारी और अहमदाबाद। मनिहारी प्रखंड में 15 पंचायत तथा 58 गाँव हैं। यह एक अधिसूचित क्षेत्र है। 2011 की जनगणना के अनुसार मनिहारी का कुल क्षेत्रफल 260 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की कुल आबादी 1,91,407 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 1,00,338 तथा महिलाओं की संख्या 91,049 है। वहीं कुल जनसंख्या का 26,629 (13.9%) आबादी (जिसमें पुरुष तथा महिलाओं की संख्या 14,039 तथा 12,590 है)।

शहरी इलाकों में निवास करती है, जबकि 1,64,778 अर्थात 86.01% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन–यापन कर रहीं हैं, जिसमें 86,319 पुरुष तथा 70,459 महिलाओं की संख्या है। वहीं कुल जनसंख्या में 0–6 वर्ष तक के बच्चों की संख्या 40, 034 है जिसमें 35,275 ग्रामीण इलाको में तथा 4759 शहरी इलाकों में निवास करता है। यहाँ का कुल लिंगानुपात 907 हैं। इस प्रखंड की आधी आबादी 80,923 में से भी कम आबादी (42.30%) ही शिक्षित है, जिसमें 485,551 पुरुष तथा 32,332 महिलाएँ ही साक्षर है। यहाँ पर अलग–अलग धर्म तथा जाति के लोग निवास करते हैं। यहाँ के कुल आबादी में 120,320 (62.86 प्रतिशत) आबादी हिंदू, 68,276 (35.67 प्रतिशत) मुस्लिम, 1455 (0.76%) इसाई, 18 (0.01%) सिख, 6 (0.0%) बौद्ध, 12 (0.01%) जैन, 870 (0.45 प्रतिशत) अन्य धर्म के लोग तथा 450 (0. 24) कोई धर्म निर्दिष्ट नहीं है, वैसे लोग इस प्रखंड में जीवन–यापन कर रहे हैं। वहीं जाति की बात करें तो झारखंड से सटे होने की वजह से इस प्रखंड में अनुसूचित जाति 18,446 (9.63%) जिसमें पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या 9769 तथा 8677 है, जबकि अनुसूचित जनजातियों की संख्या 26,287 (13.73%) है, जिसमें पुरुषों की संख्या 13,544 तथा महिलाओं की संख्या 12,743 है।

मनिहारी प्रखंड गंगा तथा कोसी नदी के तट पर स्थित होने के कारण यहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ का खतरा बना रहता है, जिससे यहाँ के लोगों की जीवन शैली तथा व्यापारिक गतिविधियों पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे यहाँ की आर्थिक व्यवस्था बाढ़ तथा गरीबी की वजह से चरमरा जाती हैं। जनगणना सर्वेक्षण में श्रमिकों को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो व्यवसाय, नौकरी सेवा तथा खेती में श्रम गतिविधि करते हैं।

इस प्रखंड में कुल आबादी का 59,886 व्यक्ति (50.4 प्रतिशत) कार्यशील गतिविधियों में संलग्न है, जिसमें मुख्य श्रमिक 30,171 तथा सीमांत श्रमिक 29715 सम्मिलित है। वहीं मुख्य कार्यों में संलग्न श्रमिक (मालिक या सह–मालिक) 7,459 व्यक्ति हैं, जबकि 15,660 व्यक्ति कृषक मजदूर हैं।

सारणी संख्या –01 : कार्यशील आबादी का वितरण

क्रम संख्या	श्रेणी	कुल	पुरूष	महिला
1.	मुख्य कार्यकर्त्ता	30,171	25342	4,829
2.	किसान	7,459	6830	629
3.	कृषक मजदूर	15,610	12842	2,768
4.	घरेलू मजदूर	650	448	202
5.	अन्य श्रमिक	6,452	5222	1,230
6.	सीमांत श्रमिक	29,715	20205	9,510
7.	गैर कार्यकर्त्ता	1,31,521	54811	76,710

स्रोत– प्रखंड कार्यालय, मनिहारी

वहीं इस प्रखंड में सरकार द्वारा यहाँ के लोगों के जीवन स्तर में सुधार हेतु तथा जरूरतमंद व्यक्तियों तक लाभ पहुंचाने के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत कई सारी पेंशन योजनाएँ चलाई जा रही है जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत् 60 वर्ष या उससे ऊपर आने वाले 7572 वृद्धों (पुरुष तथा महिला) को प्रतिमाह धनराशि प्रदान की जाती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत् वर्तमान में 40 वर्ष या उससे अधिक की आयु वर्ग वाले 1756 विद्वान पेंशन राशि का लाभ प्राप्त कर रही हैं।

लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक के आयु वर्ग में सम्मिलित 8449 विधवा इन योजनाओं से लाभान्वित हो रही है। इसके अतिरिक्त भी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के तहत् वर्तमान में 285 विकलांगों को प्रतिमाह धनराशि प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत् भी 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु वाले 6808 वृद्धो को लाभ प्रदान किया जा रहा है, जबकि बिहार राज्य विकलांग पेंशन योजना के तहत् 1732 विकलांग जरूरतमंदों को प्रतिमाह धनराशि मुहैया कराई जा रही है।

इसका तात्पर्य यह है कि मनिहारी प्रखंड के लोगों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु सरकार वहाँ के वंचित एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सशक्त बनाने का प्रयत्न कर रहीं है।

VI.) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक तथा पेशन संबंधित स्थिति –

भारत सरकार द्वारा अत्यधिक वित्तीय संकट में जीवन व्यतीत कर रही हैं विधवाओं को प्रत्येक माह पेंशन राशि प्रदान करके सरकार उन्हें सशक्त बना रही है। इसलिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में उन राज्यों के नाम सहित विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि तथा आवेदन की प्रक्रिया प्रत्येक राज्य में भिन्न–भिन्न होती है। वहीं बिहार राज्य में भी बिहार राज्य विधवा पेंशन योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। इस योजना के तहत विधवाओं को प्रत्येक माह ₹500 (जून 2025 से बढाकर ₹1100)। पेंशन दी जाती है।

सारणी संख्या–2 के अनुसार मनिहारी प्रखंड के सभी पंचायतों में विधवा पेंशन योजना के तहत् सम्मिलित लाभार्थियों की आयु को 5 वर्गों में विभाजित कर प्रस्तुत किया गया है।

जहाँ बघार में 104 विधवाओं को इस योजना से लाभ प्राप्त हो रहा है, तो वहीं बाघमारा में 74, बौइलिया में 148, दक्षिणी कांटाकोष में 107 जबकि धुरियाही गाँव में कम जनसंख्या होने की वजह से वहाँ सिर्फ 9 विधवा महिलाएँ ही इस योजना लाभान्वित हो रहीं हैं।

तालिका संख्या – 02 : विभिन्न आयु समूहों में लाभार्थियों की संख्या

क्रम संख्या	पंचायत का नाम	विभिन्न आयु समूहों में लाभार्थियों की संख्या					
		40–50	50–60	61–70	71–80	81 से अधिक	योग
1.	बघार	7	17	29	40	11	104
2.	बाघमारा	7	11	24	30	2	74
3	बौइलिया	9	26	37	75	1	148
4.	दक्षिण कंटाकोस	11	20	34	38	4	107
5.	धुरियाही	–	1	–	8	–	9
6.	दिलारपुर	15	24	56	61	14	170
7.	फतेहनगर	5	13	43	69	9	139
8.	केवाला	6	12	35	32	1	86
9.	कुमारीपुर	7	14	37	46	2	106
10.	मनिहारी	43	44	112	130	16	345
11.	मनोहरपुर	6	22	33	38	5	104
12.	नारायणपुर	15	27	38	51	3	134
13.	नवाबगंज	12	22	35	51	4	124
14.	निमा	5	5	16	18	1	45
15.	उत्तरी कंटाकोस	4	10	23	21	3	61
16.	कुल योग	152	268	552	708	76	1756

स्रोत– प्रखंड कार्यालय, मनिहारी

दिलारपुर में 170, फतेहनगर में 139, केवाला में 86, कुमारपुर में 106, मनिहारी नगर पंचायत में 345, मनोहरपुर में 104, नारायणपुर में 134, नवाबगंज में 124, नीमा में 45 तथा उत्तरी कंटाकोस में 61 विधवा महिलाएँ इस योजना के अंतर्गत हर माह धनराशि प्राप्त कर रही हैं। जहाँ 40 से 79 वर्ष तक की विधवाओं को ₹400 (जून 2025 से बढाकर ₹1100) प्रतिमाह धनराशि प्राप्त हो रही है, तो वही 80 वर्ष तथा उससे से ऊपर की विधवाओं को ₹500 (जून 2025 से बढाकर ₹1100) प्रतिमाह धनराशि प्रदान करने का प्रावधान सरकार की ओर से किया गया है।

इस प्रकार मनिहारी प्रखंड में सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत कुल लाभान्वित विधवा महिलाओं की संख्या 1756 हैं।

सारणी संख्या –03 : लाभार्थियों की जाति

जाति	लाभार्थियों की संख्या	प्रतिशत
सामान्य जाति	156	8.89
पिछड़ी जाति	477	27.17
अनुसूचित जाति	604	34.39
अनुसूचित जनजाति	514	29.55
कुल योग	1756	100

स्रोत– प्राथमिक सर्वेक्षण 2024

सारणी संख्या–03 में लाभार्थी लाभार्थियों की जाति को चार वर्गों सामान्य जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति में विभक्त कर उसके आँकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। 15 पंचायतो में से सामान्य जाति की लाभार्थियों की संख्या 156 (8.89 प्रतिशत) पिछड़ी जाति के लाभार्थियों की कुल संख्या 477 (27.17 प्रतिशत), अनुसूचित जाति की लाभार्थियों की संख्या 519 (29.55%) है, जबकि अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों की संख्या सर्वाधिक 604 अर्थात् (34.39 प्रतिशत) हैं।

मनिहारी प्रखंड में वैसे तो कई धर्म के लोग निवास करते हैं, परंतु हिंदू तथा मुस्लिम धर्म को छोड़कर अन्य सभी धर्म के व्यक्तियों की संख्या बहुत ही कम है। यही कारण हो सकता है कि इस योजना से लाभ प्राप्त करने वाली विधवाओं में से एक भी अन्य धर्म की विधवाएँ लाभान्वित नहीं हो पा रही हैं।

सारणी संख्या–04 : लाभार्थियों का धर्म

क्रम संख्या	धर्म	लाभार्थियों की संख्या	प्रतिशत
1.	हिंदू	1337	76 .13
2.	मुस्लिम	419	23 .88
3.	अन्य	–	–
4.	योग	1756	100

स्रोत– प्राथमिक सर्वेक्षण, 2024

सारणी संख्या– 04 में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कुल लाभार्थियों की संख्या 1756 में 1337 हिंदू तथा केवल 419 मुस्लिम महिलाएँ सम्मिलित हैं।

सारणी संख्या– 05 : लाभार्थियों की शैक्षिक स्थिति

शैक्षिक स्थिति	लाभार्थियों की संख्या	प्रतिशत
निरक्षर	1228	69.93
साक्षर	528	30.07
कुल	487	92.23
कोई पारंपरिक शिक्षा नहीं	19	3.60
प्राथमिक	11	2.09
प्राथमिक उच्च	8	1.51
माध्यमिक	3	0.57
कुल योग	1756	100.0

स्रोत– प्राथमिक सर्वेक्षण, 2024

सारणी संख्या– 05 क्षेत्र के लाभार्थियों की शैक्षिक स्थिति को दर्शाता हैं। इसके अनुसार मनिहारी प्रखंड की कुल आबादी का केवल 80,943 अर्थात 42.30 प्रतिशत व्यक्ति ही साक्षर हैं, जिसमें पुरुषों में साक्षरता दर 60.20 प्रतिशत (48,751 व्यक्ति) तथा महिलाओं में यह मात्र 39.80 प्रतिशत (32,232) देखी गई है। उक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि इस प्रखंड की लगभग आधी आबादी आज भी शिक्षा की गहरे अंधकार में डूबी है। इसके फलस्वरूप लाभ प्राप्त करने वाली अधिकतम महिलाएँ निरक्षर हैं।

कुल लाभार्थियों की संख्या में 1,228 (69.93 प्रतिशत) विधवा अशिक्षित हैं, जबकि केवल 528 (30.07 प्रतिशत) लाभार्थी ही साक्षर हैं। वहीं 528 (30.07%) साक्षर लाभार्थियों में से 487 (93.23 प्रतिशत) विधवाओं में कोई परंपरागत पढ़ाई नहीं की है।

उन्हें केवल अपना हस्ताक्षर करने या कुछ शब्द पढ़ने या लिखने का ही ज्ञान प्राप्त है। 19 (3.60 प्रतिशत) विधवाएँ किसी प्रकार का शिक्षा ग्रहण नहीं की हैं, जबकि 11 (2.9 प्रतिशत) प्राथमिक, उच्च 8 (1.51 प्रतिशत) महिलाएँ उच्च प्राथमिक, तथा केवल 3 (0.57 प्रतिशत) विधवा महिलाएँ ही माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर पाई हैं।

सारणी संख्या 06 : लाभार्थियों के निवास स्थान के प्रकार

वर्ग	लाभार्थियों की संख्या	प्रतिशत (%)
एकल परिवार	375	21.35
संयुक्त परिवार	953	54.27
सास– ससुर का परिवार	428	24.38
कुल योग	1756	100

स्रोत– प्राथमिक सर्वेक्षण, 2024

सारणी संख्या– 06 में लाभार्थियों के निवास स्थान के प्रकार को दर्शाया गया है, जिसे तीन वर्गों में विभक्त करके आंकड़े प्रस्तुत किया गया है। जैसा कि पिछली सारणी में यह देखा जा चुका हैं कि कुल लाभार्थियों की संख्या में 784 विधवाओं की आयु 70 वर्ष से अधिक हैं। आयु अधिक होने की वजह से वे लोग अकेले जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। इसलिए लगभग 953 (54.27 प्रतिशत) विधवाएँ अपने परिवार के साथ रहकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहीं हैं, ताकि वे लोग अपने बच्चों तथा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अपना शेष जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकें।

वहीं 428 अर्थात् 24.38 प्रतिशत लाभार्थी जिनकी आयु 40 से 60 वर्ष के मध्य हैं, वह अपने सास–ससुर के साथ रहकर अपनी तथा अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। जबकि 375 यानी 21.35 प्रतिशत विधवाएँ ऐसी भी पाई गई हैं, जिनको पति की मृत्यु के पश्चात परिवार से बेदखल कर दिया गया है तथा उनके साथ पूर्व में घरेलू हिंसा और शारीरिक शोषण जैसी घटनाएँ भी घटित हो चुकीं हैं। यही कारण है कि अब ऐसी विधवाएँ अकेले ही रहकर जीवन बिताने को विवश है। उक्त आँकड़े में कुछ वृद्धि विधवाएँ भी सम्मिलित हैं, जिसे उनके बेटे तथा बहू द्वारा घर से निकाल दिया गया हैं।

सारणी संख्या–07 : लाभार्थियों के आय के स्रोत

स्थिति	लाभार्थियों की संख्या	प्रतिशत
खेतिहर मजदूर	427	24.31
दैनिक मजदूरी	312	17.77
धरेलू कार्य	56	3.19
लधु उधोग	38	2.16
नौकरी	3	0.18
छुकान	209	11.90
कोई कार्य नहीं	711	40.49
कुल योग	1756	100.0

स्रोत– प्राथमिक सर्वेक्षण, 2024

सारणी संख्या– 07 में शोध क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सुरक्षा योजनाओं के तहत सम्मिलित लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति को दर्शाया गया है। उक्त तालिका के अवलोकन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि लाभार्थियों के इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है। कुल विधवा महिलाओं में 427 (24.31%) विधवाएँ अपने जीवन को चलाने के लिए खेतों में काम करती हैं। इनमें वैसी महिलाएँ भी सम्मिलित हैं, जिनकी आयु 40 से 60 वर्ष के बीच है, जबकि 312 अर्थात् 17.7% लाभार्थी दैनिक मजदूरी करती हैं।

इनमें भी अधिकांश महिलाएँ 40 से 60 वर्ष के आयु वर्ग की है। वही 56 (3.19%) विधवाएँ घर–घर जाकर काम करती है। 38 (2.26 %) विधवाएँ घरेलू उद्योग जैसे– अगरबत्ती बनाना, सिलाई करना, मिट्टी के बर्तन बनाना, ब्यूटी पार्लर आदि के कार्य में संलग्न है। वहीं केवल 3 ऐसी लाभार्थी महिलाएँ हैं, जो पति के नौकरी के बदले वे खुद नौकरी कर रही है, जबकि 209 (11.10%) विधवाओं के पास अपनी खुद की दुकान है तथा 711 (40.49) प्रतिशत विधवाएँ किसी भी आर्थिक उत्पादन गतिविधि में संलग्न नहीं है। अर्थात वे ही घर पर ही रहती है तथा अपने परिवारजनों पर आश्रित है। इनमें अधिकांश महिलाएँ 60 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग की हैं।

सारणी संख्या– 08 : शोध क्षेत्र के लाभार्थियों की कुल वार्षिक आय

आय	लाभार्थियों की संख्या	प्रतिशत
कोई आय नहीं	711	40.50
30,000 से कम	107	6.10
30,000–40,000	390	22.20
40,000–50,000	282	16.06
50,000 से अधिक	266	15.14
कुल योग	1756	100

स्रोत– प्राथमिक सर्वेक्षण, 2024

तालिका संख्या– 08 शोध क्षेत्र के लाभार्थियों की कुल वार्षिक आय को प्रदर्शित करता हैं। उक्त तालिका में लाभार्थियों के वार्षिक आय को पांच प्रमुख वर्गों जैसे– प्रथम जिनके आय का कोई स्रोत नहीं हैं, द्वतिय 30,000 से कम, तृतिय 30 से 40000, चतुर्थ 40 से 50,000 तथा पंचम् 50,000 से अधिक में विभक्त किया गया हैं। मनिहारी प्रखंड में इस योजना के तहत 1756 लाभार्थी लाभान्वित हो रहें जिसमें अधिक संख्या में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोग सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भी उनकी शिक्षा की स्थिति काफी दयनीय है, जिसके परिणाम स्वरुप वे लोग मजदूरी तथा छोटे–छोटे काम करके अपना जीवन व्यतीत करने को विवश है, जिसका असर उनके आय पर भी देखने को मिलता है। सारणी से यह स्पष्ट होता हैं कि 107 (6.10 प्रतिशत) विधवाएँ ऐसी ही है जिनकी कुल वार्षिक आय 30,000 से कम हैं।

वहीं 390 (22.20 प्रतिशत) विधवाओं की वार्षिक आय 30 से 40,000 के बीच है। 282 अर्थात् 16.06 प्रतिशत लाभार्थियों की कुल औसत वार्षिक आय 40,000 से 50,000 के बीच देखी जा सकती है। 266 (15.14 प्रतिशत) विधवाओं के कुल वार्षिक आय 50,000 से अधिक है। जबकि 711 (40.5 प्रतिशत) विधवाएँ ऐसी भी है, जिनकी कोई वार्षिक आय नहीं है क्योंकि उनकी अधिक उम्र तथा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण वे लोग कोई आर्थिक उत्पादन के कार्य में संलग्न नहीं हैं। वह अपने परिवार के साथ रहकर अपना जीवन व्यतीत करती हैं।

सारणी संख्या– 09 : पेंशन मिलने के दौरान लाभार्थियों की समस्याएँ

लाभार्थियों की समस्याएँ	लाभार्थियों की संख्या	प्रतिशत	कुल योग
कार्यालय का चक्कर	604	34.40	1756
भ्रष्ट अधिकारी	219	12.48	1756
जातिगत भेदभाव	1113	63.40	1756
मध्यस्थों का प्रभाव	327	18.62	1756

स्रोत– प्राथमिक सर्वेक्षण, 2024

तालिका संख्या– 09 के अनुसार शोधकर्त्ता द्वारा लाभार्थियों से जब यह पूछा गया कि, उन्हें पेंशन राशि प्राप्त करने के दौरान किन–किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हैं, तो कल 1756 लाभार्थियों में से 604 (34.40 प्रतिशत) लाभार्थियों ने बताया कि राशि प्रतिमाह नहीं आने की वजह से उन्हें बार–बार दफ्तर का चक्कर लगाना पड़ता हैं।

कई–कई दिनों तक लगातार कार्यालय जाते रहते हैं, जिससे उनका शारीरिक कष्ट झेलना ही पड़ता है साथ ही साथ मानसिक रूप से भी वे लोग बहुत थक जाते हैं, क्योंकि उनके घरों से कार्यालय काफी दूर होता है जिस वजह से वृद्ध विधवाएँ भी इस दौरान काफी मुश्किलों का सामना करती है। वहीं 219 (12.48) प्रतिशत विधवाओं का कहना है कि किसी भी त्रुटि के कारण उनकी राशि को जब रोक दिया जाता है, तो उसे पुनः चालू करने के लिए कुछ भ्रष्ट अधिकारी लेनदेन की बात भी करते हैं, जिससे उनको आर्थिक जोखिम भी उठाना पड़ता है।

इसके अलावा भी उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है। 1113 (63.40 प्रतिशत) लाभार्थियों का कहना है कि आज भी कार्यालय, बैंक या डाकघरों में उनकी छोटी जाति होने के कारण उनके साथ भेदभाव किया

जाता है। उनकी समस्याओं को अनसुना कर दिया जाता है। यहाँ तक की अमीरी तथा गरीबी का भी भेदभाव बखूबी किया जाता है। यही कारण है कि गरीबी तथा निची जाति होने से यह लोग अपनी समस्या किसी के सामने रख नहीं पाते हैं, जबकि 327 (18.62 प्रतिशत) लाभार्थियों का कहना यह है कि वे लोग बिचौलियों के हस्तक्षेप से भी काफी परेशान होते हैं। इसका मुख्य कारण उन लोगों का अशिक्षित रहना है।

अशिक्षित होने की वजह से वह खुद आवेदन नहीं कर पाते हैं, इसके लिए वह मध्यस्थों का सहारा लेती है। उनके मदद के बदले मध्य अपनी जेब गर्म करने की कोशिश करते रहते हैं, जिससे लाभार्थियों को आर्थिक क्षति होती है। सारणी संख्या–10 से यह स्पष्ट होता है की पेंशन राशि मिलने से पूर्व तथा पश्चात् लाभार्थी महिलाओं के जीवन स्तर पर कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। उनके आवास की दशाएँ (पेंशन मिलने के बाद) आज भी वैसे ही हैं जैसा की पेंशन मिलने से पहले भी थी।

सारणी संख्या –10 : पेंशन मिलने के पश्चात लाभार्थियों का जीवन स्तर

स्थिति	निम्न	संतोषजनक	कुल संख्या
आवास की स्थिति	672	1084	1756
पेयजल की व्यवस्था	54	1702	1756
शौचालय तथा स्नान घर	113	1643	1756
मनोरंजन के साधन	1134	622	1756
शिक्षा स्तर में सुधार	1709	47	1756
बिजली की व्यवस्था	344	1412	1756

स्रोत– प्राथमिक सर्वेक्षण, 2024

उनके पति की मृत्यु से पहले उनके घरों की स्थिति जैसी थी वैसी स्थिति आज भी बनी हुई है। 50 वर्ष से ऊपर लगभग सभी विधवा महिलाएँ अपने बच्चों तथा परिवारों के साथ रहकर ही जीवन–यापन कर रहीं हैं, जहाँ उनके लिए स्वच्छ पेयजल की भी व्यवस्था है तथा घरों में शौचालय व स्नान घर की भी सुविधा है।

वैसी महिलाएँ जो कम उम्र में ही विधवा हो गई है, उनके पास मनोरंजन के लिए खुद का मोबाइल तथा टेलीविजन भी है, परंतु प्रौढ़ विधवा महिलाओं के पास खुद के मनोरंजन संबंधी कोई साधन उपलब्ध नहीं है। वहीं अगर शिक्षा की बात करें तो कुल लाभार्थियों की संख्या में केवल 47 विधवाएं ही ऐसी मिली जो पति की मृत्यु के पश्चात अपने अध्ययन को जारी रखा। वहीं कुछ विधवा महिलाएँ पेंशन की राशि से अपने बच्चों को शिक्षित कर रही हैं तथा वर्तमान समय में लगभग सभी के घरों में बिजली की उत्तम व्यवस्था है।

तालिका संख्या– 11 जो कि क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न पेंशन योजनाओं से लाभन्वित लाभार्थियों के संतुष्टि स्तर को दर्शाता हैं, इसके अवलोकन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि 1353 (77.06 प्रतिशत) लाभार्थी इस योजना के तहत मिलने वाली धनराशि से संतुष्ट नहीं है।

सारणी संख्या– 11 : पेंशन की राशि से संतुष्टि का स्तर

स्तर	लाभार्थियों की संख्या	प्रतिशत (%)
संतुष्ट	403	22.94
असंतुष्ट	1353	77.06
कुल योग	1756	100

स्रोत– प्राथमिक सर्वेक्षण, 2024

पूछे जाने पर उनका यह जवाब सामने आया कि वर्तमान में इतनी महंगाई होने पर भी केवल ₹400 या ₹500 प्रति माह मिलने वाली धनराशि से उनका गुजारा संभव नहीं हो पाता है। वे लोग सरकार से आग्रह करती है कि वर्तमान महंगाई को देखते हुए उनकी पेंशन राशि को भी बढ़ाया जाए, ताकि वे लोग उस धनराशि से अपनी जरूरत को पूरा कर सकें, जिसे ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने जून 2025 से इस राशि को बढाकर ₹1100 कर दिया

हैं। जबकि 403 (22.94 प्रतिशत) विधवाओं का कहना है कि उनके लिए ₹400 भी बहुत है, जब कोई मदद नहीं कर रहा है, तो इसलिए वे संतुष्ट थे।

शोधकर्ता ने इन सभी तालिकाओं के माध्यम से मनिहारी प्रखंड के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा योजना से लाभान्वित विद्वानों के व्यक्तिगत, आर्थिक, सामाजिक तथा पेंशन से जुड़े सभी तथ्यों को प्रस्तुत कर उसका विश्लेषण करने का प्रयत्न किया है। साथ ही साथ उससे जुड़ी सभी समस्याओं को समझ कर अपने शोध अध्ययन के माध्यम से उसको प्रस्तुत भी किया है।

निष्कर्ष :

यह अध्ययन बिहार राज्य के कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड के अंतर्गत आने वाले सभी पंचायत में विधवाओं के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित विधवा पेंशन योजना के प्रभाव तथा बेसहारा विधवाओं तक पहुंच का आंकलन करता है। उक्त शोध प्रपत्र में विधवा महिलाओं की व्यक्तिगत जानकारी (जैसे– उम्र, जाति, धर्म और शिक्षा) से लेकर पेंशन की राशि प्राप्त होने तथा उसके जीवन पर उसके पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों को दर्शाता है।

शोध पत्र में उनके आर्थिक व सामाजिक जीवन पर होने वाले परिवर्तन को भी सम्मिलित किया गया हैं। अध्ययन के निष्कर्ष से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि जहाँ एक ओर इन योजनाओं का उद्देश्य विधवा महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, वहीं दूसरी ओर योजनाओं की जानकारी पहुंच तथा लाभ सभी आयु वर्गों, जाति, धर्म तथा अमीर गरीब सभी वर्गों में असमान रूप से बटे हुए हैं। जहाँ 40 से 60 वर्ष तक की महिलाएँ इन योजनाओं के प्रति अधिक जागरूक व संलग्न है, वही 70 वर्ष से अधिक आयु वाली विधवाओं को न केवल इन योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई होती है, बल्कि आवेदन प्रक्रिया में तथा उसे भरने उनको बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

दूसरी ओर मनिहारी प्रखंड में अधिकांश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की विधवा महिलाओं को इसका लाभ प्राप्त हो रहा है, जिसमें अधिकांश विधवाएँ निरक्षर हैं और उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति भी बहुत ही दयनीय हैं, जिससे इस योजना से मिलने वाली राशि भी उनके जीवन स्तर को सुधारने का कार्य कर रहीं हैं।

अर्थात् इन योजनाओं से मिलने वाली धनराशि उनके जीवन स्तर को काफी हद तक सुधारने का कार्य तो कर ही रहीं हैं, परंतु इसके साथ ही कुछ अन्य बाधाएँ जैसे– बार–बार कार्यालय का चक्कर, भ्रष्टाचार, जातिगत भेदभाव, मध्यस्थों का प्रभाव तथा विधवाओं के साथ उनके ही परिवार द्वारा बदसलूकी, घरेलू हिंसा जैसी घटनाएँ उनके जीवन स्तर को नीचे गिराने का कार्य करती है।

यही कारण है कि सरकार की पहल के बावजूद भी इनकी दशाओं में कुछ विशेष बदलाव देखने को नहीं मिलता हैं, परंतु यह भी सत्य है की पेंशन योजनाओं का प्रभाव कहीं ना कहीं उनके जीवन में उस रोशनी का कार्य करती है, जो घनी अंधेरे रात के बाद आता हैं।

वहीं दूसरी ओर सरकार के साथ–साथ स्थानीय प्रशासन द्वारा सक्रिय जागरूकता अभियान विशेष रूप से वृद्ध विधवा महिलाओं के लिए सहायता केंद्र तथा पेंशन योजनाओं की प्रक्रिया में सुधार की भी आवश्यकता है, जिससे विधवा महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकें।

संदर्भ सूची

1. https://indiacurrents-com
2. https://www-policycircle-org
3. https://www-aiggpa-mp-gov-in
4. https://wikipedia-org
5. https://jagran-com
6. https://www-tataaia-com
7. https://villageinfo-in
8. https://www-censusindia-co-in
9. https://rajholps-in
10. "शहीदों की विधवा महिलाओं की समस्याएँ", योगिता राखी पवार। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडुकेशन मार्डन मेनेजमेन्ट एप्लाईड सांइस एंड सोशल सांइस (आई.जे.ई.एम.एम.ए.एस.एस.एस.) आई.एस.एस.न : 2581–9925, इम्पेक्ट फेक्टर–6.882, वाल्युम–04, न. 04, (II) अक्टूबर – दिसंबर, 2020–2022, पीपी–93–100.
11. "हिंदू धार्मिक प्रथाओं का विधवा महिलाओं के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन : मथुरा जनपद के वृंदावन क्षेत्र के विशेष संदर्भ में", दयालबाग शिक्षण संस्थान डीम्ड यूनिवर्सिटी दयालबाग आगरा। पीएचडी (समाजशास्त्र) की उपाधि हेतु संशोधित अनुसंधान की रूपरेखा (2019)।
12. https://manihari-manihari-blogspot-com
13. www.bbc.com
14. https://www-abplive-com>India